



फनिटेक कंपनियों का वनियमन

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) कुछ फनिटेक क्षेत्रों, जो ई-वॉलेट और पेमेंट गेटवे सेवाओं पर केंद्रित हैं, को वनियमित करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बंदी

नियमन क्यों आवश्यक है?

- भारतीय फनिटेक कंपनियों को कई संस्थाओं जैसे भारतीय रज़िर्व बैंक, भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोरड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एवं बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा न्यंत्रित किया जाता है।
- इस प्रकार कोई एकल नियामक निकाय न होने के कारण फनिटेक फर्मों के पास समर्पित दशा-नरिदेशों का एक वशिष्ट सेट नहीं है।
- इसके फलस्वरूप नियमों में दोहराव या वरिधाभास की समस्या उत्पन्न होती है।
- चूंकि, भारत की एक बड़ी आबादी इन फनिटेक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली वतित्तीय सेवाओं जैसे पयिर-टू-पयिर लैंडिंग (Peer-to-Peer Lending), ई-वॉलेट, पेमेंट गेटवे आदिका लाभ उठाती है। अतः इस क्षेत्र का वनियमन आवश्यक हो गया है।
- नियमन किये जाने के बाद ये संस्थाएँ भुगतान और नपिटान अधनियम, 2007 के तहत RBI के साथ पंजीकृत होंगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2013 में CRISIL ने देश के 666 ज़िलों में वतित्तीय समावेशन के स्तर और प्रगतिका अनुमान लगाने के लिये भारत का पहला वतित्तीय समावेश सूचकांक Inclusix लॉन्च किया था। वर्ष 2019 में भारत के 666 ज़िले इस सूचकांक में से आधे 'औसत से ऊपर' की श्रेणी में शामिल हैं।
- वर्ष 2017 में RBI के एक कार्यकारी समूह ने सफिरशि की कभारत में फनिटेक के लिये नियामक सैंडबॉक्स स्थापति किये जाए जो फनिटेक स्टार्ट-अप की नई सेवाओं को बाज़ार में प्रवेश करने से पहले उसका परीक्षण और संबंघति जोखमिों का आकलन कर सकें।

सैंडबॉक्स एक बुनयिदी ढाँचा है जो बैंक द्वारा फनिटेक कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उत्पादों या सेवाओं के तैयार होने के बाद एवं बाज़ार में उनके आने से पहले उनका परीक्षण किये जा सकें।

- RBI के कार्यदल ने एक रपौरट प्रस्तुत की जिसके आधार पर हाल ही में RBI ने इससे जुड़ा एक मसौदा जारी किये ताकि फनिटेक कंपनियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के सैंडबॉक्स में परीक्षण में सकषम बनाया जा सकें।

ज्जातव्य है कि अब तक फनिटेक के किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अधिक वनियमन नहीं हुआ है।

क्या हैं पी-2-पी लैंडिंग फर्म?

- पी-2-पी लैंडिंग एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किये जा सकता है जो असुरकषति ऋण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋणदाताओं (lenders) और ऋण लेने वालों (borrowers) के मध्य सामंजस्य स्थापति करता है।
- पी-2-पी लैंडिंग फर्मों में वतित के वैकल्पिक रूपों को बढ़ावा देती हैं, जहाँ औपचारिक वतित का पहुँचना संभव नहीं होता है।
- कम परचालन लागत तथा परंपरागत ऋणदाता चैनलों के साथ बढ़ती प्रतसिपर्द्धा के कारण इनमें लैंडिंग दरों को कम करने की भी कषमता होती है।
- रज़िर्व बैंक के अनुसार, पी-2-पी लैंडिंग 'क्राइडफंडिंग' (crowdfunding) का एक प्रकार है जिसका उपयोग ऐसे ऋणों की वसूली के लिये किये जाता है, जिनका भुगतान व्याज के साथ करना हो।

भारतीय प्रतभूत एवं वनिमिय बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं-
 - प्रतभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
 - प्रतभूत बाजार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे वनिमियमति करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक वषियों का प्रावधान करना।

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)

- RBI की स्थापना हलिटन यंग आयोग की सफ़ारिशों के आधार पर की गई थी। इसकी स्थापना RBI अधिनियम, 1934 में की गई थी।
- RBI का मुख्यालय शुरु में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
- शुरुआत में RBI नज़िर्व स्वामित्व वाला बैंक था। अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मली और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
- देश के चार महानगरों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं।
- RBI के मुख्य कार्य नमिनलखित हैं:
 - केंद्रीय बैंक का कार्य।
 - नोटों को जारी करने का एकाधिकार।
 - करेंसी जारी करने के साथ उसका वनिमियमन।
 - वदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण।
 - वदेशी व्यापार और भुगतान को सुवधाजनक बनाना तथा भारत में वदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना एवं उसे बनाए रखना।
 - मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू करवाना और उसकी नगिरानी करना।
 - विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
 - सरकार का बैंकर अर्थात् यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिये व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है।
 - वाणज्यिक बैंकों के लिये बैंकर और उनके लिये अंतिम ऋणदाता।
 - अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखना।
 - गैर-मौद्रिक कार्यों के तहत बैंकों को लाइसेंस देने के साथ बैंकों की नगिरानी करना।
 - बैंकिंग परचालन के लिये मानदंड नरिधारित करना जिसके तहत देश की बैंकिंग और वत्तीय प्रणाली काम करती है।
 - यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सरकार के प्रतनिधि के तौर पर काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतनिधित्व करता है।

भारतीय दूरसंचार वनिमियमक प्राधकिरण (TRAI)

- भारतीय दूरसंचार वनिमियमक प्राधकिरण की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को हुई।
- यह एक वैधानिक संस्था है जो भारतीय दूरसंचार नयिमक प्राधकिरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित हुई है।
- इसमें एक अध्यक्ष होता है एवं अधिकतम दो पूर्णकालिक एवं दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- यह भारतमें दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध करवानेवाली कंपनियों की नयिमक संस्था है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

बीमा नयिमक और विकास प्राधकिरण (IRDA)

- भारतीय बीमा वनिमियमक और विकास प्राधकिरण (IRDAI) वैधानिक नकिय है।
- इसका गठन बीमा नयिमक और विकास प्राधकिरण अधिनियम, 1999 के अंतरगत किया गया था।

- यह एक स्वायत्त संस्था है।
- यह एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- इसका कार्य भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को वनियमिति करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

स्रोत: लाइवमटि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/opinion-regulatory-support-key-for-fintech-revolution-to-play-out-in-india>

